



THE PROCESS OF

Filing for compensation

IN CASE OF LOSS OF HUMAN LIFE DUE TO ATTACK BY WILD ANIMAL

1

- Report the incident to the Forest Department within 7 days
- Apply for compensation within 30 days of the incident

- Medical officer of a government institution or government recognized medical institution to conduct a postmortem

2

3

- Submit the **original postmortem report** to the Forest guard (FD)
- Submit the **application*** to the Forest Department

- Keep a copy of all submitted documents and records

4

Relief in case of death of human being - Rs. 4,00,000/-

Who can get the relief?

- Husband/Wife
- Son, unmarried/divorced daughter and children of pre-deceased son
- Daughter
- Grandchildren whose parents have expired earlier
- Mother/Father
- Brothers, Sisters, Children of the pre-deceased brothers
- Lastly, any next of kin

***For application and other information contact - +91 76500 02777**



**nature
conservation
foundation**



वन विभाग से

राहत पाने संबंधी कदम

यदि किसी जंगली जानवर के हमले में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है

1

- मृतक के परिवार द्वारा इस हादसे के बारे में सात दिन के अन्दर वन विभाग को खबर दी जानी चाहिए
- वन विभाग को 30 दिन के अंदर आवेदन पत्र* दिया जाना चाहिए।

2

- किसी सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मैडिकल संस्थान के मैडिकल ऑफिसर द्वारा पोस्टमॉर्टम किया जाना चाहिए।

3

- ये दस्तावेज वन विभाग (फॉरेस्ट गार्ड) को सौंपें।
- मैडिकल ऑफिसर की मूल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
 - वन विभाग को आवेदन

4

- सभी दस्तावेजों की प्रति, जमा कराने के सबूत के रेकॉर्ड के रूप में अपने पास रखनी चाहिए।

किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राहत राशि (₹)4,00,000

राहत राशी किसको प्राप्त हो सकती है ?

- पत्नी / पति
- बेटे, अविवाहित या तलाकशुदा बेटियों या पहले ही मर चुके बेटे के बच्चों को (बराबर हिस्सा)
- बेटी
- मृतक के ऐसे बेटे / बेटी की संतानें जो मृतक से पहले ही मर चुके हों
- पिता या माता
- भाई या बहन या मृत भाई के बच्चे (समान हिस्सा)
- अगर इनमें से कोई भी न हो, तो सम्पत्ति में हिस्सा पाने का कोई भी अधिकारी, जो मृतक का निकट का रिश्तेदार हो।

***आवेदन संबंधी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे - +91 76500 02777**



**nature
conservation
foundation**